2013:CGHC:3144-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री यतीन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. **रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6956/2011**

याचिकाकर्ता **भारत प्रसाद शर्मा**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण **भारत संघ एवं अन्य**

2. रिट अपील क्रमांक 76/2013

अपीलार्थी **भारत प्रसाद शर्मा**

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2 के अंतर्गत रिट अपील

उपस्थित:-

अपीलकर्ता एवं याचिकाकर्ता की ओर से- श्री वी. जी. तामस्कर, अधिवक्ता।

भारत संघ की ओर से- श्रीमती फौजिया मिर्ज़ा, सहायक सॉलिसिटर जनरल।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओर से- डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री संघर्ष पांडे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र.-3 की ओर से- श्री बी.पी. मिश्रा, अधिवक्ता।

3. **रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1520/2012**

याचिकाकर्ता **के.एन. प्रेमनाथ**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण **भारत संघ एवं अन्य**

2013:CGHC:3144-DB

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से- श्री बी.पी. सिंह, अधिवक्ता।

भारत संघ/उत्तरवादी क्र.-1 की ओर से- श्रीमती फौजिया मिर्ज़ा, सहायक सॉलिसिटर जनरल।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओर से- डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री संघर्ष पांडे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र.-4 की ओर से- श्री बी.पी. मिश्रा, अधिवक्ता।

आदेश

(दिनाँक 07 फरवरी, 2013)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इन मामलों में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का कोई अधिकारी सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

तथ्य

2. भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, (संयंत्र) सेल की एक इकाई है। केंद्र सरकार ने दिनांक 26.02.1997 को एक अधिसूचना जारी कर संयंत्र के संपदा अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।
3. सेल ने दिनांक 07.08.1998 को एक आदेश जारी कर श्री चंद्रा, जो नगर प्रशासन में वरिष्ठ संपदा प्रबंधक (एचबीए एवं हुडको) के पद पर कार्यरत थे, के पद को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान वेतन एवं वेतनमान पर ही संपदा अधिकारी के रूप में पुनर्नामित कर दिया।

रिट याचिका क्रमांक 6956/2011 एवं रिट अपील क्रमांक 76/2013

4. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) एक निर्माण (कंस्ट्रक्शन) कंपनी है। इसने संयंत्र का निर्माण किया। सेल ने एचएससीएल को अपने कर्मचारियों के निवास हेतु आवास बनाने की भी अनुमति दी, क्योंकि वे संयंत्र का निर्माण कर रहे थे।
5. श्री बी.पी. शर्मा (श्री शर्मा) एचएससीएल के कर्मचारी थे। वे दिनांक 01.12.2003 को सेवानिवृत्त हुए। श्री चंद्रा ने अधिनियम के अंतर्गत श्री शर्मा की बेदखली के लिए नोटिस जारी किए। इस कार्यवाही में श्री शर्मा के विरुद्ध कुछ एकपक्षीय आदेश पारित किए गए।

इसके बाद उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने की मांग की तथा श्री चंद्रा के संपदा अधिकारी के रूप में प्राधिकार को भी चुनौती दी।

6. श्री चंद्रा ने श्री शर्मा को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी, किन्तु दिनांक 27.07.2007 को संपदा अधिकारी के रूप में अपने अधिकार-क्षेत्र के संबंध में उनकी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया।

7. श्री शर्मा ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जिसे दिनांक 03.08.2011 को खारिज कर दिया गया।

8. श्री शर्मा ने उपरोक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध रिट याचिका क्रमांक 5814/2011 दायर की, जिसे दिनांक 11.10.2011 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात रिट अपील क्रमांक 76/2013 दायर की गई।

9. श्री शर्मा ने रिट याचिका क्रमांक 6956/2011 दायर कर अधिनियम के अंतर्गत श्री चंद्रा की संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति को निरस्त करने की प्रार्थना की।

रिट याचिका क्रमांक 1520/2012

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. श्री के.एन. प्रेमनाथ (श्री नाथ) भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 10 में एक दुकानदार थे। उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 4(1) एवं 7(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। उन्होंने श्री चंद्रा की संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1520/2012 दायर की।

11. ये तीनों मामले एक ही विवाद से उत्पन्न हैं और इन्हें एक साथ निर्णयित किया जा रहा है। हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना।

निर्णय: रिट अपील क्रमांक 76/2013

12. यह विवादित नहीं है कि अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने दिनांक 27.07.2007 को अपीलकर्ता की उस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया, जो उनके संपदा अधिकारी के पद पर आसीन होने के अधिकार से संबंधित थी। इस आदेश के विरुद्ध दायर अपील को जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 03.08.2011 को खारिज कर दिया गया।

13. उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध रिट याचिका क्रमांक 5659/2011 दायर की गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत की गई थी।

14. एसकेएस इस्पात लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ (रिट अपील-1006/2012, निर्णय दिनांक 12.12.2012) में यह अवधारित किया गया कि रिट याचिका का शीर्षक महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का वास्तविक स्वरूप (सार) महत्वपूर्ण होता है। उसी से यह निर्धारित होता है कि आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पारित हुआ है या अनुच्छेद 227 के अंतर्गत।

15. वर्तमान मामले में, एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश को अपास्त करने से इंकार किया है। आदेश के वास्तविक स्वरूप (सार) से स्पष्ट है कि यह संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पारित किया गया है तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

16. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2 की उपधारा (1) के प्रावधान के आलोक में, यह रिट अपील पोषणीय नहीं है।

निर्णय: रिट याचिका क्रमांक 6956/2011 एवं रिट याचिका क्रमांक 1520/2012

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. सेल की ओर से अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि—

• रिट याचिका क्रमांक 5814/2011 उन आदेशों के विरुद्ध दायर की गई थी, जिनमें यह माना गया था कि श्री चंद्रा को मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने का अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है;

• रिट याचिका क्रमांक 6956/2011 एक पश्चातवर्ती रिट याचिका है, जो वस्तुतः वही अनुतोष मांगती है;

• अतः रिट याचिका क्रमांक 6956/2011 पोषणीय नहीं है।

19. उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों में कुछ बल है, किन्तु किसी भी स्थिति में हमें इस प्रश्न का निर्णय रिट याचिका क्रमांक 1520/2012 में करना है। अतः हम इस मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका क्रमांक 1520/2012 के साथ करेगें।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

20. श्री नाथ एवं श्री शर्मा (संयुक्त रूप से 'याचिकाकर्तागण' कहा गया) के अधिवक्ता ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विरुद्ध श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड एवं अन्य (1998) एससीसी 465 (अम्बिका प्रकरण) तथा डॉ एस.एल. अग्रवाल विरुद्ध जनरल मैनेजर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई एवं अन्य (1971) एमपी एलजे 825 (एस.एल. अग्रवाल प्रकरण) का अवलंब लिया एवं तर्क प्रस्तुत किया कि—

(i) केवल भारत सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण का अधिकारी ही संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सेल न तो भारत सरकार है और न ही कोई वैधानिक प्राधिकरण;

(ii) संपदा अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए, जबकि श्री चंद्रा की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई;

(iii) श्री चंद्रा ने सभी मामलों का निर्णय सेल के पक्ष में किया है, अतः वे पक्षपाती हैं;

(iv) श्री चंद्रा ने नीति निर्धारित की है और उसी को लागू भी कर रहे हैं, इसलिए वे अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते।

उद्धृत किये गये प्रकरण

21. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रकरणों में निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- अम्बिका प्रकरण में यह प्रश्न था कि क्या मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक, जो कि केंद्र सरकार का कर्मचारी है, को दी गई सूचना, सेल को दी गई सूचना मानी जाएगी। गुजरात उच्च न्यायालय ने यह माना था कि सेल, भारत सरकार का एक विभाग है और मुख्य नियंत्रक को दी गई सूचना, सेल को दी गई सूचना के समान है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय को पलटते हुए यह अवधारित किया कि सेल, भारत संघ का कोई विभाग नहीं है और इस प्रकार मुख्य नियंत्रक को दिया गया आवेदन, सेल को दिया गया आवेदन नहीं माना जा सकता।
- एस.एल. अग्रवाल प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अवधारित किया कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड न तो सरकार का विभाग है और न ही उसके कर्मचारी राज्य के अधीन पद धारण करते हैं।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन मामलों का सही निर्णय किया है, किन्तु ये वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते।

प्रथम तर्क: सेल एक वैधानिक प्राधिकरण है

23. यह निर्विवाद है कि सेल एक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वह न तो राज्य का अंग होती है और न ही उसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, तथा संविधान

का अनुच्छेद 311 उस पर लागू नहीं होता। यही बात याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत दोनों प्रकरणों में कही गई है।

24. तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत यह नहीं दर्शाता कि सेल का कोई अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न कि संपदा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है या नहीं, स्वयं अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

25. अधिनियम के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही संपदा अधिकारी द्वारा की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 का शीर्षक "संपदा अधिकारियों की नियुक्ति" है। इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार, सरकार के किसी अधिकारी अथवा किसी वैधानिक प्राधिकरण के समकक्ष पद के अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजनों हेतु संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

26. अधिनियम की धारा 2 परिभाषा संबंधी धारा है। धारा 2(ङ) में "सरकारी स्थान" की परिभाषा दी गई है। धारा 2(ङ)(2)(i) के अनुसार "सरकारी स्थान" में वह परिसर भी सम्मिलित है जो किसी कंपनी के स्वामित्व में हो, या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया हो, या उसकी ओर से लिया गया हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित है, जिसमें समादत्त अंश (पेड-अप शेयर कैपिटल) का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार के पास हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. सेल के प्रतिशपथ-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि सेल एक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उसकी समादत्त अंश का 51% से अधिक भाग भारत सरकार के पास है। इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28. उपरोक्त के आलोक में, यह माना जाता है कि सेल की समादत्त अंश का 51% से अधिक भाग केंद्र सरकार के पास है, अतः उसके स्वामित्व वाले परिसर अधिनियम की धारा 2(ङ)(2)(i) के अंतर्गत "सरकारी स्थान" की परिभाषा में आते हैं।

29. अधिनियम की धारा 2(च)(चक)(ii) के अनुसार, धारा 2(ङ)(2)(i) में वर्णित सरकारी स्थान के संबंध में "वैधानिक प्राधिकरण" वही कंपनी होगी। इसका अर्थ है कि सेल, अधिनियम के आशय में एक वैधानिक प्राधिकरण है।

30. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क में कोई बल नहीं है।

द्वितीय तर्क: नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा

31. केंद्र सरकार ने दिनांक 26.02.1997 को अधिसूचना जारी की है। इसके माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र के संपदा अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत, दुर्ग जिले के भिलाई टाउनशिप में स्थित तथा सेल के स्वामित्व एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसरों के संबंध में संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

32. श्री चंद्रा, सेल के नगर प्रशासन में वरिष्ठ संपदा प्रबंधक थे। उन्हें संपदा अधिकारी के रूप में पुनर्नामित किया गया। श्री चंद्रा को सेल द्वारा अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। उनके पद को केवल सेल के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में पुनर्नामित किया गया था; सेल द्वारा केवल यही कार्य किया गया।

33. सेल के सभी संपदा अधिकारी पहले ही केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जा चुके थे। इसी केंद्र सरकार द्वारा की गई नियुक्ति के आधार पर श्री चंद्रा अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी बने।

34. उपरोक्त के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी की नियुक्ति सेल द्वारा की गई थी; अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। अतः द्वितीय तर्क में भी कोई बल नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तृतीय एवं चतुर्थ तर्क: कोई सार नहीं

35. यह तथ्य कि श्री चंद्रा ने सभी मामलों का निर्णय सेल के पक्ष में किया, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे पक्षपाती हैं। यदि किसी मामले में सेल का पक्ष सही है, तो संपदा अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उसी के पक्ष में निर्णय दे। ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि उनके किसी भी निर्णय में असंगतता या अवैधता थी। इस आलोक में, तृतीय तर्क में कोई सार नहीं है।

36. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तथापि, श्री चंद्रा अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हैं। वे अपने व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित किसी मामले का निर्णय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अतः चतुर्थ तर्क में भी कोई सार नहीं है।

निष्कर्ष

37. निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(क) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के प्रावधान के आलोक में, रिट अपील 76/2013 पोषणीय नहीं है;

(ख) सेल, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अर्थ में एक वैधानिक प्राधिकरण है;

(ग) सेल ने श्री हरिश्चंद्र को अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया है, बल्कि केवल उनके पद को सेल के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में पुनर्नामित किया है;

(घ) सेल के संपदा अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 26.02.1997 की शासकीय आदेश के माध्यम से नियुक्त किया गया है;

(ङ) अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि श्री चंद्रा, सेल के पक्ष में पक्षपाती हैं;

(च) श्री चंद्रा अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हैं तथा वे अधिनियम के अंतर्गत संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

38. उपरोक्त निष्कर्षों के दृष्टिगत, रिट अपील 76/2013 पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है तथा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6956/2011 एवं 1520/2012 को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाता है।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **एन.के. अग्रवाल**

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar